

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550

क्रमांक:—एफ-7(4)विविध/अकाद/आकाशि/2019/105-06

दिनांक :- 19.3.2021

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय
(जहां अनिवार्य कम्प्यूटर पाठ्यक्रम संचालित है),
राजस्थान ।

विषय:—सत्र 2020-21 के लिये राजकीय महाविद्यालयों में अनिवार्य कम्प्यूटर शिक्षण के अध्यापन की व्यवस्था बाबत ।

संदर्भ:—आयुक्तालय के पत्रांक एफ-7(4)अकाद/आकाशि/कम्प्यूटर/2014/1140 दिनांक 11.09.2018 एवं पत्रांक एफ-7(4)अकाद/आकाशि/कम्प्यूटर/2014/591 दिनांक 04 दिसम्बर 2019 ।


महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आयुक्तालय के पत्रांक एफ-7(4) अकाद/आकाशि/कम्प्यूटर/2014/1140 दिनांक 11.09.2018 एवं पत्रांक एफ-7(4)अकाद/ आकाशि/कम्प्यूटर/2014/591 दिनांक 04 दिसम्बर 2019 की निरन्तरता में शैक्षणिक सत्र 2020-21 की अवधि हेतु राजकीय महाविद्यालयों में अनिवार्य कम्प्यूटर शिक्षा के अध्यापन के लिये छात्रों से, जितनी राशि कम्प्यूटर शिक्षण शुल्क के रूप में ली गई है, उस राशि की सीमा तक स्थानीय स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

यह स्वीकृति सत्र 2020-21 की अवधि के लिये जी एफ एण्ड आर के प्रावधान (रूपये 150/- प्रति कालांश अधिकतम) के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार केवल आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियमानुसार शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु दी जाती है।


(संदेश नायक)
आयुक्त

✓ प्रतिलिपि — वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने का श्रम करें ।


(डॉ० सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)